

Notice Inviting Tender

GOVERNMENT OF MADHYA PRDESH
URBAN ADMISTRATATION AND DEVOLPMENT DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMMISSIONER MUNICIPAL CORPORATION GWALIOR

NIT No. – MPGMC/35/26X13/1/PARK

Dated : 12/05/2026

Contractor have to submit Attested Scanned copy of GSTIN, Pan No., EPF,ESIC, Registration at the shop act,Horticulture/Nursary licence,MSME, Annexure B & H Online tender through e-procurement are invited on portal <http://www.mptenders.gov.in> on behalf of GMC.

Online Percent Rate bids for the following works are invited from registered contractors and Firms of repute fulfilling registration criteria.

NIT Call	Name of Work	Probable Amount of Contract (Rs. in lakh)	Earnest Money Deposit (In Rupees)	Cost of Bid Document	Category of Contractor	Period of Completion	Tender Type
1	2	3	4	5	6	7	8
1 st	Maintenance And Plantation of Tree Plant at Manpur Hills Sagar tal Nagar Nigam, Gwalior,03 Years SH: Supplying ,Planting and Maintenance of Tree Plant. (36+03 months) file no 35/26*13/1	1,78,46,011/-	89,230/-	12,500/-	<u>PWD Registration</u>	39 Month	Percent Rate

- 01 All details relating to the Bid Document(s) can be viewed and downloaded free of cost on the website <http://mptenders.gov.in>
- 02 Bid Document can be purchased after marking online payment of portal fees through RTGS/NEFT/Internet Banking.
- 03 In This NIT Apply The Order No. एफ 237/2024/18-2 दिनांक 09.09.2024 Of Ministry Of Urban Development And Housing M.P. Govt.
- 04 निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दर 10% से अधिक नीचे (More Than Ten Percent Below) को अव्यवहारिक दर (Unworkable Rates) मानते हुए Additional Performance Security लिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- 05 अतिरिक्त परफोरमेंस गारंटी (Additional Performance Guarantee) के रूप में, प्राप्त निविदा राशि (Contract Amount) एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम की निविदा राशि (Cost Of PAC @ 10 % Below) के अंतर की राशि लिया जाना प्रावधानित है।
- 06 Performance Security एवं Additional Performance Security के संबंध में निविदा प्रपत्र में निम्नानुसार संघोधन लिए जाते हैं:-

S.N.	Reference	Particulars	Value Applicable For Works
01	ITB Clause 22	Performance Security And Additional Performance Security	ITB Clause 22 (W) Performance Security to be deposited @ 3(Three) % of the contract amount (X) Additional Performance Security to be deposited @ equal to :- (W) If Rates are below 10% and upto 20% value equal to the percentage below 10% of Probable amount of contract(PAC) (X) If Rates are below 20%- as per (a) and twice the value below 20% of probable amount of contract (PAC)

ITB Clause 22	Performance Security And Additional Performance Security shall be valid up to	valid up to 03 months From the Date of issuance of completion certificate.
Note – These values to be incorporated in the bid data sheet/contract data sheet.		

- 07 अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी मात्र Fixed deposit Receipt(FDR) के रूप में मान्य होगी।
- 08 अनुबंध न करने की स्थिति में निविदाकार की अमानत राशि (Bid Security) राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसे निविदाकारों को कम से कम 02 वर्ष के लिये प्रतिबंधित करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किया जायेगा।
- 09 यदि अनुबंध में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर निविदाकार द्वारा समयावधि बढ़ाने की मांग की जाती है, तो ठेकेदार की मांग पर बढ़ाई गई समयावधि के लिये मूल निविदा शर्तों की पेनल्टी के अतिरिक्त अव्यवहारिक दसों के मामले में अतिरिक्त पेनल्टी भी ली जायेगी। अतिरिक्त पेनल्टी 01 माह की समयवृद्धि के लिये अतिरिक्त परफॉरमेन्स गारंटी का 1/12 भाग होगा।
- 10 निविदाकारों को एन.आई.टी. में दर्शित समस्त प्रमाण पत्र सलंगन करना अनिवार्य है।
- 11 निविदाकर्ता को लोक निर्माण विभाग का वैध पंजीयन, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीकरण, दुकान संस्थान पंजीकरण, नर्सरी/हॉर्टीकल्चर का पंजीकरण, एनक्सचर एच एवं बी आदि आवश्यक दस्तावेज निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 12 निविदाकर्ता को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के अन्तर्गत पंजीकृत वैध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (E.P.F.) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (E.S.I.C.) का पंजीकरण निविदा के साथ आवश्यक रूप से देना अनिवार्य होगा। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 13 निविदाकर्ता को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (E.P.F.) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (E.S.I.C.) का पंजीकरण के समय लगाये गये कर्मचारियों की सूची भी निविदा के साथ आवश्यक रूप से देना अनिवार्य होगा। जिसमें बागवानी कार्य में प्रशिक्षित कुशल माली (कम से कम 15 व्यक्ति) की नाम सूची मय पी.एफ.आई.डी. निविदा पत्र में संलग्न करना होगी।
- 14 निविदाकर्ता के पास किसी भी सरकारी संस्था में बागवानी रखरखाव कार्य का कम से कम चार वर्ष एवं न्यूनतम 10 हजार पौधों की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं कार्यदेश जमा करना आवश्यक होगा।
- 15 निविदाकर्ता के लिये 100 रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा जिसमें यह प्रमाणित करना होगा कि वह किसी भी सरकारी/गैर-सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं है और इस निविदा की सभी वैध शर्तों का पालन भी किया गया है।
- 16 निविदाकर्ता का बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में निविदा जारी दिनांक से पूर्व में पंजीकृत होना अनिवार्य है पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज (नर्सरी लाईसेंस) निविदा के साथ आवश्यक रूप से देना अनिवार्य होगा।
- 17 निविदाकर्ता का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और इससे संबंधित MSME प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 08 निविदाकर्ता का वार्षिक कारोबार कम से कम 01 करोड़ होना चाहिये। इस संबंध में किसी अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 09 निम्नलिखित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव:-
- (क) तीन समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत संभावित अनुबंध राशि के कम से कम 20% हो, या
- (ख) दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत संभावित अनुबंध राशि के कम से कम 30% हो, या
- (ग) एक समान कार्य, जिसकी लागत संभावित अनुबंध राशि के कम से कम 50% हो।


वृक्षारोपण उपरांत रखरखाव/संधारण कार्य अवधि 36 माह हेतु सफल निविदाकार कार्य करने के दौरान निम्न आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा:-

- 01 सफल निविदाकार को वृक्षारोपण हेतु अनुमापन अनुसार 15000 गड्डे उल्लेखित साईज में खोदना होंगे। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रत्येक गड्डे में से पौधा रोपण से पूर्व पत्थर, मुरम, अनवांटेड वीड्स को हटाना होगा।
- 02 सफल निविदाकार को पौधे रोपण से पूर्व प्रत्येक गड्डे में अच्छी मिट्टी एवं खाद का निर्धारित अनुपात में तैयार मिश्रण डालना होगा।
- 03 सफल निविदाकार को पौधारोपण से पूर्व मानपुर पहाड़ी पर पौधों की सिंचाई हेतु बोरबेल कार्य पूर्ण कराना होगा।
- 04 सफल निविदाकार को पौधों की नियमित सिंचाई हेतु 15000 पौधे रोपण किये जाने वाले पूर्ण क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (मोटर, लाईट, पाईप लाईन सहित) स्थापित करना होगा।
- 05 सफल निविदाकार को मानपुर पहाड़ी पर रोपण किये गये पौधों की सुरक्षा हेतु तैनात गार्ड हेतु गार्डरूम निर्माण से पूर्व निर्धारित ड्रॉईंग एवं डिजाइन से पार्क विभाग के तकनीकी अधिकारी से सत्यापन कराना होगा।
- 06 सफल निविदाकार को अनुमापन में उल्लेखित प्रजाति एवं हाईट के स्वस्थ पौधे रोपण करना होंगे एवं रोपण किये गये पौधों का 03 वर्ष तक रखरखाव एवं संधारण करना होगा।
- 07 03 वर्षीय संधारण एवं रखरखाव अवधि के दौरान यदि कोई पौधा मृत/रोगग्रस्त/क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सफल निविदाकार को समान प्रजाति एवं हाईट (मृत/रोगग्रस्त/क्षतिग्रस्त के समय जो पौधे की हाईट हो) का पौधा रोपण करना होगा। जिसका नगर निगम द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 08 सफल निविदाकार को पौधों की सुरक्षा के लिये प्रत्येक पौधे पर अनुमापन में उल्लेखित स्पेसिफिकेशन अनुसार सुरक्षा संसाधन मय लेखन पट्टिका के स्थापित करना होगा। एवं पट्टिका पर पौधे की प्रजाति का नाम एवं सरल क्रमांक लेख करना होगा।
- 09 सफल निविदाकार को कार्यादेश दिनांक से 03 माह की अवधि में 15000 पौधों का रोपण कार्य पूर्ण करना होगा। समस्त पौधों के रोपण कार्य पूर्ण होने उपरांत संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के उपरांत कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 03 वर्षीय (36 माह) संधारण एवं रखरखाव अवधि प्रारम्भ होगी। इस प्रकार कार्य की कुल अवधि 39 माह की रहेगी।
- 10 सफल निविदाकार द्वारा पौधा रोपण कार्य पूर्ण उपरांत पौधे, बोरबेल, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, गड्डे, सुरक्षा संसाधन लगाने का 60 प्रतिशत राशि का भुगतान लेखा नियमानुसार परफोरमेंस गारंटी के रूप में राशि काटी जाकर, 03 माह उपरांत, किया गया कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जावेगा। शेष 40 प्रतिशत राशि का भुगतान 03 वर्ष की अवधि में 36 समान किश्तों में, सफल निविदाकार द्वारा 36 माह के संधारण/रखरखाव कार्य का प्रत्येक माह में प्रस्तुत देयक के साथ कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जावेगा।
- 11 सफल निविदाकार द्वारा प्रत्येक माह प्रस्तुत किये जाने वाले चल देयक में से लेखा नियमानुसार परफोरमेंस गारंटी के रूप में राशि की कटौती की जावेगी। जिसका भुगतान कार्य समाप्ति के 03 माह उपरांत कार्य संतोषजनक पाये जाने पर किया जावेगा।
- 12 03 वर्षीय संधारण एवं रखरखाव अवधि के दौरान कार्यस्थल से यदि कोई पौधा, सामान जैसे:- बोरबेल के पाईप, लाईट का सामान, इरिगेशन सिस्टम के उपकरण, सुरक्षा संसाधन इत्यादि चोरी होता है या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसकी मरम्मत/पूर्ति 02 दिवस में पूर्ण की जावे एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।
- 13 पौधों की सिंचाई हेतु स्थापित बोरबेल की मोटर खराब होने पर एवं इरिगेशन सिस्टम में कोई खराबी आ जाने पर, मोटर एवं इरिगेशन सिस्टम की मरम्मत सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय से 02 दिवस में पूर्ण कराना होगी।
- 14 सफल निविदाकार को मोटर मरम्मत, इरिगेशन सिस्टम मरम्मत, लाईट मरम्मत एवं आदि क्षतिग्रस्त सामान को दुरस्त कराने का 03 वर्ष की संधारण अवधि के दौरान नगर निगम, ग्वालियर द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

- 15 सफल निविदाकार को कुल कार्य अवधि 3७ बाद कार्य समाप्ति उपरांत 15000 नग स्वस्थ पौधे निर्धारित मानक के अनुरूप हाईट में (निर्धारित मानक से तात्पर्य यह है कि उदाहरण के लिये यदि सफल निविदाकार द्वारा कोई पौधा 05 फीट हाईट का लगाया जाता है तो निर्धारित मानक के अनुरूप यदि 03 वर्ष में पौधे की 07 फीट हाईट में वृद्धि होती है तो कार्य समाप्ति के समय उक्त पौधे की 12 फीट हाईट होना चाहिये) मय नाम पट्टिका सहित, सुरक्षा संसाधन, बोरबेल एवं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चालू कंडीशन में,गार्डरूम पार्क विभाग, नगर निगम, ग्वालियर को हैंडओवर करना होंगे।
- 16 सफल निविदाकार को आवश्यकता के अनुरूप माली, श्रमिक, चौकीदार, सुपरवाइजर जो उद्यानिकी कार्य में निपुण हो,आवश्यकता अनुसार कार्यस्थल में तैनात करने होंगे।
- 17 कार्य के दौरान कार्यस्थल पर पूर्व से लगे पेड़ पौधों को यदि नुकसान पहुंचाया जाता है तो म.प्र. वृक्ष परीक्षण अधिनियम 2001 की धाराओ के अन्तर्गत सम्बंधित निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
- 18 किसी भी स्थिति में कार्य की सब कान्ट्रेक्टिंग,ज्वाईट वेंचर स्वीकृति योग्य नहीं है।
- 19 न्यूनतम निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम,ग्वालियर का होगा। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी
- 20 अनुबंध के निष्पादन के दौरान हुई किसी भी क्षति/दुर्घटना/कानूनी कार्यवाही/अनुकंपा का खर्चा ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा और विभाग/नगर निगम ऐसी किसी भी घटना के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
- 21 अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन एवं कार्यों का निष्पादन संतोषप्रद न होने की स्थिति में सफल निविदाकार को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आयुक्त,नगर पालिका निगम ग्वालियर द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
- 22 कार्य के निष्पादन के दौरान बारिश,तूफान,भूकम्प और अन्य आपदा से हुई किसी भी क्षति के लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
- 23 किसी भी न्यायालयीन विवाद हेतु न्याय क्षेत्र जिला ग्वालियर रहेगा।
- 24 पक्षकारों द्वारा सहमति पूर्वक यह निर्धारित होगा। कि किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त,नगर निगम,ग्वालियर सक्षम होंगे। तथा आयुक्त का निर्णय अंतिम मान्य होगा। विवाद निराकरण स्थल/स्थान ग्वालियर रहेगा।

ELIGIBILITY FOR BIDDERS:-

- (a) At the time of submission of the Bid the bidder should have valid registration with the Government Madhya Pradesh, PWD in the appropriate class. However, such bidder who are not registered with the Government of Madhya Pradesh and are eligible for registration can also submit their bids after having applied for registration with appropriate authority.
- (b) The bidder would be required to have valid registration at the time of signing of the Contract.
- (c) Failure to sign the contract by the selected bidder, for whatsoever reason, shall result in forfeiture of the earnest money deposit.
- (d) Tenderer will have to submit Scanned copy of EPF Registration.
- (e) The Bid Document can be purchased only online from as per Critical Dates on <http://www.mptenders.gov.in>.


Ajay Shakyawar
ASSISTANT ENGINEER
GWALIOR MUNICIPAL CORPORATION